अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

विविध वाद संख्या– 03 /2019–20

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
14/03/2020	यह अभिलेख आपत्तिकर्त्ता, 1. श्री भोलानाथ लायक 2. श्री अरिम लायक, पिता–अज्ञात के द्वारा समर्पित आवेदन–पत्र के आलोक में प्रारम्भ की जाती है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लायकडीह, मौजा नं0–254 अन्तर्गत खाता सं0–119, प्लॉट सं0–657, रकवा–3.75 डी0 एवं प्लॉट सं0–655, रकवा–2.85 डी0 भूमि से संबंधित ऑनलाईन दाखिल–खारिज केश सं0–4209/2019–20 को लेकर आपत्तिकर्त्ता के द्वारा अपने हिस्से की भूमि से अधिक बिक्री करने के कारण उक्त दाखिल–खारिज आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अतः प्राप्त आवेदन–पत्र के आलोक में आपत्तिकर्त्ता, क्रेता एवं विक्रेता को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–24/03/2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
24/03/2020	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम नोटिस का तामिला प्राप्त। परन्तु कोविड–19 महामारी संक्रमण के फलस्वरूप National Lockdown घोषित किया गया था जिसके कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। लॉकडाउन के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें। अभिलेख दिनांक–16/07/2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
16/07/2020	अभिलेख उपस्थापित। लॉकडाउन के उपरान्त सभी पक्षों को पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की माँग करते हुये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश दें। अभिलेख दिनांक–28/07/2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
28/07/2020	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय नोटिस का तामिला प्राप्त। क्रेता एवं आपत्तिकर्त्ता उपस्थित परन्तु विक्रेता अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी कोविड–19 संबंधी कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक–13/08/2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
13/08/2020	अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी कोविड–19 संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक–01/10/2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	

Scanned with CamScanner

01/10/2020 अभिलेख उपस्थापित।

पुनः सभी पक्षों को तृतीय/अंतिम नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की माँग करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश दें।

अभिलेख दिनांक–06/10/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

06/10/2020 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। सभी पक्ष उपस्थित। सभी पक्षों के द्वारा अपने–अपने समर्थन में राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया। क्रेता, श्रीमती आशा सिन्हा के द्वारा केवाला दलील सं0–4458, दिनांक–14.12.16, भूमि का नक्शा, स्वंय का वोटर कार्ड, विक्रेता के नाम से निर्गत पूर्व का ऑफलाईन लगान–रसीद, शुद्धि–पत्र, गत् सर्वे खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है एवं विक्रेता, श्रीमती निभा लायक (संजीव लायक की माँ), पति–चित्तरंजन लायक के द्वारा केवाला दलील सं0–4459, दिनांक–14.12.16 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–919, दिनांक–05.09.2020 के द्वारा अवर निबंधक, गोविन्दपुर से उक्त दलील का निबंधन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। तत्पश्चात् अवर निबंधक, गोविन्दपुर के पत्रांक–136, दिनांक–07.09.2020 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि, *"निबंधन पदाधिकारी द्वारा विलेखों या लेखों का निबंध का मुख्य आधार निबंधन अधिनियम, 1908 एवं निबंधन नियमावली, 1937 है। निबंध नियमावली 1937 के नियम 21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विलेखों एवं लेखों के निबंधन की शर्तों में इस बात का कतई उल्लेख नहीं है कि विलेखों में वर्णित जमीन/सम्पत्ति के स्वामित्व (title) की जांच पड़ताल की जाय। माननीय उच्च न्यायालय के L.P.A.-08/2007 में दिये गये निदेश एवं महान महाधिवक्ता के राय की प्रति उपलब्ध कराया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को यथावत रखा गया है। तात्पर्य है कि निबंधन पदाधिकारी द्वारा विलेखों का निबंधन किया जाता है न कि जमीन का। त्रुटिपूर्ण स्वामित्व (Defective title) संबंधी हस्तान्तरण पर उचित निर्णय लेने की शक्ति सिविल न्यायालय में निहित है न कि निबंधन पदाधिकारी में। यदि किसी पक्षकार को यह प्रतीत होता है कि भूमि का कोई संव्यहार (Transanction) गलत है तो इसके लिये पक्षकार Specific Relief Act, 1963 के तहत् सक्षम न्यायालय का सहारा ले सकता है। स्पष्टतः इसमें विक्रेता दोषी है न कि निबंधन कार्यालय।"*

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित राजस्व कागजात एवं अवर निबंधक, गोविन्दपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा अपने निज अंश से अधिक भूमि की विक्री की गयी है। मामला स्वत्व वाद से संबंधित है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त करते हुए सभी पक्षों को सक्षम न्यायालय जाने का निदेश दिया जाता है। इसकी सूचना सभी पक्षों को दें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Scanned with CamScanner